भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1281
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव

1281. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मणिपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय का संचालन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) मणिपुर में उक्त महाविद्यालय का संचालन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी नहीं। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मणिपुर में पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय चलाने पर विचार नहीं कर रहा है। पशुचिकित्सा शिक्षा राज्य का विषय है। केंद्र सरकार ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत वीसीआई (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता और मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, पशुचिकित्सा महाविद्यालय या पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में प्रासंगिक नियम निम्नानुसार हैं:

I. आवेदक संस्थान/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार से निर्धारित प्रारूप (फॉर्म I) में प्राप्त आवेदनों पर वीसीआई नियम, 2017 के नियम (7) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

II. केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, कोई भी व्यक्ति पशुचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा और कोई भी पशु चिकित्सा महाविद्यालय अनुमत संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देगा या छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा (वीसीआई नियम, 2017 का नियम 3)

III. पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड वीसीआई नियम, 2017 के नियम 4 में दिए गए हैं।

IV. पशुचिकित्सा महाविद्यालय या पशुचिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन करने हेतु अर्हता मानदंड और प्रक्रिया वीसीआई नियम, 2017 के नियम 5 और 6 में दी गई है।

V. निर्धारित शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र I) में आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ऐसे आवेदन को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को भेजती है।

VI. ऊपर वर्णित तरीके से प्राप्त आवेदनों पर वीसीआई नियम, 2017 के नियम (7) (1) में वर्णित मान्यता के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार को मणिपुर में 'पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय' खोलने के लिए वीसीआई नियम, 2017 (प्रपत्र I) के तहत यथा निर्धारित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ख) उपर्युक्त (क) पर विचार करते हुए लागू नहीं।

*****